न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा जिला–भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी:– रजनी माधीवाल, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर–261/17 राजस्व वाद

अनवान

श्री रामा आत्मज दयाराम गुर्जर निवासी भभाणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा। ––––वादी

बनाम

1–भोजा आत्मज हांसा गुर्जर निवासी भभाणा तहसील करेड़ा
2–श्रीमति मांगी देवी पत्नि भोजा गुर्जर निवासी भभाणा तहसील करेड़ा
3–सीता पुत्री भोजा निवासी भभाणा तहसील करेड़ा
4–मीना पुत्री भोजा निवासी भभाणा तहसील करेड़ा
5–श्रीमति बदामी पत्नि पारस गुर्जर निवासी भभाणा तहसील करेड़ा
6–पारस आत्मज भोजा गुर्जर निवासी भभाणा तहसील करेड़ा

––प्रतिवादीगण।

उपस्थित:–

1–श्री ताराचन्द जैन — अधिवक्ता वादी।
2–श्री श्रवण लाल गुर्जर — अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

वाद पत्र अन्तर्गत 188–92(ए) रा0का0अधिनियम

वाद पत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 02.05.2018

प्रकरण में संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत 188–92 (ए) रा0 का0 अधिनियम बाबत स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण दिनांक 16.06.2016 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को न्यायालय मे उज्ररदारी पेश करने हेतु विवाद्यको मे स्थिरीकरण के लिये सम्मन जारी किये गये। न्यायालय द्वारा जारी सम्मन विधिवत बाद तामील प्राप्त होकर शामिल फायल किये गये। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 06 की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवणलाल गुर्जर का अधिकार पत्र दिनाक 2.1.2017 को प्रस्तुत हुआ परन्तु बावजूद सूचना के दौराने पेशी प्रतिवादीगण एवं उनके अधिवक्ता निरन्तर अनुपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि उक्त वादपत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल में प्रस्तुत हुआ एवं तदुपरात इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार मे होने से हस्तानान्तरित होकर प्राप्त हुआ।

प्रतिवादीगण को नियत पेशी दिनाक पर विधिवत तीन बार आवाजे लगाई गई परन्तु उनकी ओर से स्वयं प्रतिवादीगण अथवा उनके कोई विधिक प्रतिनिधि उपस्थित नही होने से प्रकरण मे दिनांक 16.01.2018 को एकतरफा कार्यवाही अमल लाये जाने का आदेश पारित किया गया ।

पत्रावली लोक अदालत शिविर मे केम्प भभाणा पर प्रस्तुत की गई। वादी रामा गुर्जर उपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही । साराश रूप मे ग्राम भभाणा पटवार मण्डल भभाणा स्थित आ0न0 624/1 रकबा 0.18 बीघा भूमि मुताबिक जमाबदी स0 2071 से 2074 से उपरोक्त 0.18 बीघा भूमि वादी की खातेदारी होना निर्विवाद रूप से प्रमाणित है। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रतिवादीगण का उपरोक्त वादग्रस्त भूमि से कोई सबध एव स्वामित्व नही होने के बावजूद भी वादग्रस्त भूमि हड़पने के उद्देश्य से दखलन्दाजी करते रहते है एवं वादी को नुकसान पहुंचाना चाहते है जिसका प्रतिवादीगण को कोई वैधानिक अधिकार नही है।

मैने वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र तथा वादपत्र की ताईद मे प्रस्तुत शपथपत्र एवं उसके प्रमाण मे प्रस्तुत जमाबंदी पर गौर किया। यह तथ्य निर्विवादित है कि वादग्रस्त भूमि वादी के खातेदारी की है जिसमें दखलन्दाजी करने का प्रतिवादीगण को कोई वैधानिक अधिकार नही है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 06 स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदत्त किये जाते है।

:: आदेश ::

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र विरूद्व प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 06 अन्तर्गत धारा 188–92(ए) रा0का0 अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने से न्यायालय द्वारा आदेशित किया जाता है कि ग्राम भभाणा पटवार मण्डल भभाणा तहसील करेड़ा स्थित आ0न0 604/1 रकबा 0.18 बीघा भूमि जो वादी के स्वामित्व की है उसमें प्रतिवादीगण भविष्य मे वादी को बेदखल नही कर किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी न तो स्वयं उत्पन्न करे और न ही किसी अन्य से कराने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्रदत्त की जाती है। तहसीलदार करेड़ा को पालनार्थ लिखा जाकर प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नबंर से कम हो।

निर्णय आज दिनाक 02/05/2018 को राजस्व लोक अदालत शिविर कैम्प भभाणा मे सुनाया गया।

(रजनी माधीवाल)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner

डिक्री

(आदेश 20 नियम 6/जा0दी0)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला भीलवाडा(राज0)
वईजलास सुश्री रजनी माधीवाल (आर0ए0एस0)

अनवान

श्री रामा आत्मज दयाराम गुर्जर निवासी भभाणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा। ---वादी

बनाम

1-भोजा आत्मज हांसा गुर्जर निवासी भभाणा तहसील करेड़ा
2-श्रीमति मांगी देवी पत्नि भोजा गुर्जर निवासी भभाणा तहसील करेड़ा
3-सीता पुत्री भोजा निवासी भभाणा तहसील करेड़ा
4-मीना पुत्री भोजा निवासी भभाणा तहसील करेड़ा
5-श्रीमति बदामी पत्नि पारस गुर्जर निवासी भभाणा तहसील करेड़ा
6-पारस आत्मज भोजा गुर्जर निवासी भभाणा तहसील करेड़ा

--प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 188-92ए रा0टि0ए0 1955 मु0 संख्या 261/17 राजस्व वाद निर्णय दिनांक 02.05.2018

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई सवरूप अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिव मुददई व श्री ताराचंद जैन मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिकी दी जाती है कि ग्राम भभाणा तहसील करेड़ा स्थित आ0नं0 604/1 रकवा 0.18 बीघा भूमि जो वादी के स्वामित्व की है उसमें प्रतिवादीगण भविष्य में वादी को बेदखल नही कर किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी न तो स्वयं उत्पन्न करे और न ही किसी अन्य से कराने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्रदत्त की जाती है। फरिकेन खर्चा अपना-अपना वहन करें।

आज तारीख 02.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की।

(रजनी माधीवाल)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा

Scanned by CamScanner